न्यायालय, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या–73/2002–03 अन्तर्गत धारा–219 भू0रा0अधि0

करम सिंह पुत्र भरत सिंह, निवासी–ग्राम रजबपुर, तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार।

बनाम

1– हुकुम सिंह, 2. अतर सिंह पुत्रगण तिलक, निवासी–ग्राम रजबपुर, तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार।

उपस्थित : श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।
अधिवक्ता निगरानीकर्ता : अनुपस्थित।
अधिवक्ता उत्तरदातागण : अनुपस्थित।

निर्णय

यह निगरानी तत्कालीन अपर आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ द्वारा निगरानी संख्या–01/91–92 करम सिंह बनाम हुकुम सिंह आदि में पारित आदेश दिनांक 03–02–93 एवं अपर कलेक्टर, लक्सर द्वारा वाद संख्या–02/90–91 अन्तर्गत धारा–210 भू0रा0अधि0 अतर सिंह बनाम करम सिंह आदि में पारित आदेश दिनांक 30–03–91 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

इस निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है:–

निगरानीकर्ता करम सिंह ने विक्रय पत्र दिनांक 09–07–62 के आधार पर भूमि खाता संख्या–01 खसरा नं0–88/2मि0 क्षेत्रफल 2 बीघा 5 विस्वा 2.5 विस्वांसी स्थित ग्राम रजबपुर, परगना मंगलौर के नामान्तरण हेतु नामान्तरण प्रार्थना पत्र दिनांक 24–07–87 को तहसीलदार, हरिद्वार के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके विरूद्ध उत्तरदाता संख्या–1 व 2 हुकुम सिंह व अतर सिंह ने आपत्ति दिनांक 28–10–87 प्रस्तुत की, कि वह वादग्रस्त भूमि का संक्रमणीय भूमिधर काबिज कास्त है उसने कभी कोई बैनामा करम सिंह व किसी अन्य के हक में नही किया है तथा विक्रय पत्र किसी धोखाधड़ी व साज का परिणाम है अतः दाखिल खारिज दरख्वास्त खण्डित होने योग्य है।

नामान्तरण प्रार्थना पत्र पर नामान्तरण प्रार्थी व आपत्तिकर्ताओं को सुनने व साक्ष्य परीक्षण उपरान्त विद्वान तहसीलदार, हरिद्वार ने अपने निर्णयादेश दिनांक 23–06–89 से आपत्तिकर्ताओं की आपत्ति को निरस्त कर नामान्तरण प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नामान्तरण आदेश पारित किये गये। आदेश दिनांक 23–06–89 के विरूद्ध अतर सिंह द्वारा सहायक

कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, हरिद्वार के समक्ष अपील अन्तर्गत धारा–210 भू0रा0अधि0 प्रस्तुत की गई जो तहसील लक्सर के सृजन उपरान्त जिलाधिकारी, हरिद्वार के आदेश दिनांक 22–01–90 से परगनाधिकारी, लक्सर को निस्तारण हेतु स्थानान्तरित की गई जिसे विद्वान सहायक कलेक्टर, लक्सर ने पक्षकारों को सुनने के उपरान्त अपने निर्णयादेश दिनांक 30–09–91 से स्वीकार कर नामान्तरण प्रकरण पक्षकारों को सम्यक साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान कर गुण दोष के आधार पर निस्तारण हेतु प्रति प्रेषित किया। आदेश दिनांक 30–09–91 के विरूद्ध करम सिंह द्वारा तत्कालीन अपर आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई जिसे विद्वान अपर आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ ने अपने आदेश दिनांक 03–02–93 से निरस्त किया। इसी आदेश के विरूद्ध वर्तमान निगरानी तत्कालीन विधि व्यवस्थाओं के अन्तर्गत निदेशित है।

इस निगरानी में विगत 11–12 तिथियों से कोई भी पक्षकार अथवा उनके अधिवक्ता उपस्थित नही हो रहे है। तद्नुसार इस निगरानी का निस्तारण उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार गुण दोष के आधार पर किया जा रहा है।

विद्वान सहायक कलेक्टर/परगनाधिकारी, लक्सर ने अपने निर्णयादेश दिनांक 30–09–91 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि नामान्तरण न्यायालय द्वारा निर्गत उद्घोषणा पत्र की प्रति खातेदार विक्रेता/आपत्तिकर्ता पर तामील नही कराई गई है जबकि नियमानुसार विक्रेता को उद्घोषणा की एक प्रति तामील कराया जाना आवश्यक था। उन्होंने यह भी पाया है कि कथित विक्रय पत्र दिनांक 09–07–62 के अनुसार अतर सिंह पुत्र तिलक, निवासी–रजबपुर द्वारा चक संख्या–1 क्षेत्रफल 2 बीघा 5 विस्वा 2.5 विस्वांसी का विक्रय पत्र करम सिंह व निर्मल सिंह पुत्रगण भरत सिंह के हक में निष्पादित किया गया है जबकि खतौनी 1391 फसली–1396 फसली से अतर सिंह पुत्र तिलक के नाम खसरा नं0–88/2मि0 क्षेत्रफल 2 बीघा 3 विस्वा 2 विस्वांसी 10 कचवांसी तथा खसरा नं0–88/2मि0 रकबा 2 विस्वा संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है जिसका कोई प्रमाण पत्रावली पर ऐसा उपलब्ध नही है जिससे विदित हो कि उक्त भूमि चक संख्या–1 है। इन्हीं तात्विक व विधिक अनियमितताओं के दृष्टिगत विद्वान सहायक कलेक्टर, लक्सर ने नामान्तरण आदेश दिनांक 23–06–89 खण्डित कर प्रकरण नामान्तरण न्यायालय को प्रति प्रेषित किया जिसके दृष्टिगत ही विद्वान अपर आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ ने करम सिंह द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की है।

मेरी दृष्टि में विद्वान अपर आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ का आदेश दिनांक 03–02–93 एवं विद्वान परगनाधिकारी, लक्सर के निर्णयादेश दिनांक 30–09–91 में कोई तात्विक एवं विधिक अनियमितता नही परिलक्षित है तद्नुसार उनमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है तथा निगरानी अस्वीकृत होने योग्य है। यह प्रकरण अत्यधिक विलम्बित है परन्तु वर्णित विधिक एवं तात्विक त्रुटियों के दृष्टिगत उसे अंतिम स्वरूप देने के लिए कोई अवसर उपलब्ध नही है।

आदेश

निगरानी अस्वीकृत की जाती है। प्रकरण मूल नामान्तरण न्यायालय को इस आशय से प्रति प्रेषित किया जाता है कि वर्णित स्थितियों को स्पष्ट करते हुए पक्षकारों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर ही गुण दोष के आधार पर इसका निस्तारण किया जाए। पक्षकार दिनांक 27–06–2017 को अवर न्यायालय में उपस्थित हों। इस न्यायालय की पत्रावली संचित तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली वापस की जाएं।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)

आज दिनांक 30–05–2017 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)